संख्या-2468/चौवालिस-1/1988

प्रेषक,

श्री प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

लखनऊ : दिनांक 5 अक्टूबर, 1989

विषय :- पर्वतीय यात्रा हेतु सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय निगमों से यह जानकारी चाही गई है कि उद्यमों के सेवकों द्वारा अपने मूल निवास स्थान (गृह जनपद) तक जाने के लिये, लिए गये अवकाश के साथ पर्वतीय यात्रा हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति आने-जाने के समय के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जायेगी अथवा नहीं। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया चूंकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का स्वतंत्रता के बाद से काफी विकास हो चुका है और पर्वतीय क्षेत्रों के आवागमन के लिए प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध हैं फलस्वरूप अब पर्वतीय स्थानों की यात्रा पहले की भांति दुर्गम नहीं रह गयी है और आने-जाने में अधिक समय भी नहीं लगता है।

2- उपर्युक्त परिस्थितियों में उद्यमों के सेवकों की तैनाती के स्थान से अपने मूल निवास स्थान तक तथा निवास स्थान से तैनाती के स्थान तक आने व जाने के लिए पर्वतीय यात्रा हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा अब नये सिरे से दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में कोई विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।

संख्या-2468(1)/चौवालिस-1/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित शासन के विशेष सचिव/सचिव।
(2) सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को उनके पत्र संख्या-एम0डी0सी0/स्थापना/चोपन/87-88-4064, दिनांक 18-11-87 के संदर्भ में।
(4) गढ़वाल मण्डल विकास निगम को उनके पत्र संख्या-1100/एम-120(85-88), दिनांक 31-8-87 के संदर्भ में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को भी पूर्व निर्गत आदेशों के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष आकस्मिक अवकाश देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।